संख्या : 776 / XXX(4)-26 / उ0आ0 / 2006–08

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 22 अक्टूबर, 2008

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1270 / तीस–2 / 2004, दिनांक 11.8.2004 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा राज्य आन्दोलन के दौरान सात दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 5 प्रतिशत अधिमान दिये जाने तथा अगले 05 वर्षों (अर्थात् चयन वर्ष 2004–05 से 2008–09) के लिये उनको 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी थी।

2– अतः, उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त व्यवस्था अग्रिम दो वर्षों अर्थात् 10 अगस्त, 2011 तक कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश इस सीमा तक यथा संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में वर्णित अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल),
अपर मुख्य सचिव।